



## उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग

मानव अधिकार भवन (तृतीय तल),  
टी.सी.-34, वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन नं.- 0522-2306403

फैक्स- 0522-2728671

ई-मेल :- [up.mahilaayog@yahoo.com](mailto:up.mahilaayog@yahoo.com)

व्हाट्सअप नं.-6306511708

टोल फ्री नं.- 1800-180-5220

महिलाओं के उत्पीड़न का होगा अन्त, महिला आयोग है उनके संग।

हम निम्न अनुसार आपकी सहायता हेतु तत्पर हैं-

1. महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा/उत्पीड़न सम्बन्धी समस्याओं पर समुचित कार्यवाही कराया जाना।
2. महिलाओं को परामर्श एवं विधिक सहायता दिलाया जाना।
3. कार्य स्थल पर महिलाओं के शोषण सम्बन्धी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही किया जाना।
4. बलात्कार, अपहरण, एसिड अटैक, अवैध देह व्यापार एवं यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सम्बन्ध में तत्काल विधिक कार्यवाही कराया जाना।
5. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता एवं जागरूकता अभियान का चलाया जाना।
6. दहेज उत्पीड़न/दहेज हत्या से सम्बन्धित मामलों में विधिक कार्यवाही कराया जाना।
7. महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में हस्ताक्षरित शिकायती प्रार्थना पत्र, पहचान पत्र व पूर्ण पते के साथ, फैक्स, ई-मेल, व्हाट्सअप, डाक एवं व्यक्तिगत माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं, जिसके साथ किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
8. शिकायतों की सुनवाई आयोग में केवल सम्बन्धित पक्षों से ही की जाती है, सुनवाई में प्रतिनिधि/अधिवक्ता की उपस्थिति मान्य नहीं है।